न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ

मुकदमा नम्बर 30/2021 निर्णय दिनांक 12.02.2021

शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

– प्रार्थी –

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़।
3. श्रीमती रामीदेवी पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासी जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

– अप्रार्थीगण –

उपस्थितिः–

1. श्री रणवीर सिंह अभिभाषक वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 के विरूद्ध एकतरफा
3. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

यह प्रार्थना पत्र शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 491 तादादी 14.09 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही जेतासर पटवार हल्का जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है जिसमें अप्रार्थी सं. 3 का 759/1409 हिस्सा है। अप्रार्थी सं. 3 ने अपनी उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की 759/1409 हिस्से की कृषि भूमि पर के.सी.सी. व अन्य ऋण उद्देश्य हेतु प्रार्थी बैंक के यहां सन् 2016 में आवेदन किया जिस पर प्रार्थी बैंक शाखा द्वारा 28 जुलाई 2016 को उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में (प्रार्थी बैंक के नाम) रहननामा दर्ज करने हेतु 6 (1) जारी किया। अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त 6 (1) अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में प्रस्तुत कर किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय से उक्त 6 (1) को हल्का पटवारी को भेजा गया व हल्का पटवारी ने सही रूप से नामान्तरण संख्या 834 दिनांक 29.07.2016 दर्ज रजिस्टर कर तहसील कार्यालय में पेश किया जो बाद पंजीबद्ध एक प्रति प्रार्थी बैंक के कार्यालय को भिजवाई गई। उक्त 6 (1) के आधार पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी सं. 3 को के.सी.सी. व अन्य कृषि ऋण प्रदान कर दिया गया। कुछ समय बाद प्रार्थी बैंक द्वारा ऑन लाईन के माध्यम से अप्रार्थी सं. 3 के खसरे की सर्च की गई तो पता चला कि उक्त खसरे को राजस्व अमला द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़) के नाम गलत रूप से रहन दर्ज कर दिया गया है। उक्त नामान्तरण सं. 834 के द्वारा बिलकुल ही गलत रूप से खसरा नम्बर 491 रोही जेतासर में अप्रार्थी संख्या 2 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ के नाम रहन का इन्द्राज कर दिया गया है जबकि अप्रार्थी सं. 3 ने अप्रार्थी संख्या 2 के यहां कोई ऋण आवेदन नहीं किया था उक्त खसरा भूमि का नामान्तरण सही रूप से प्रार्थी बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ के नाम दर्ज होना चाहिए था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:05:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 3 को भी कहा कि आपने मेरी बैंक संस्था में ऋण का आवेदन किया था व आपको ऋण प्रदान किया गया है परन्तु आपके हिस्से के खेत का रहन का इन्तकाल हमारी बैंक शाखा के नाम अभी तक दर्ज नहीं हो पाया है व उक्त रहन का इन्तकाल गलत रूप से बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ के नाम दर्ज हो गया, आप इसे दुरूरत करवाओं तो अप्रार्थी संख्या 3 ने कहा कि 6 (1) आपने भरकर दिया था और मैनें तहसील कार्यालय में पेश कर दिया अब रहन का इन्तकाल किस बैंक के नाम दर्ज हुआ यह मुझे पता नहीं है व ना ही मेरी कोई गलती है, आप जानों व आपका काम जाने। प्रार्थी बैंक को उक्त गलत रहन के बारे में पता चलने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2021 को प्रस्तुत कर **बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़** के स्थान पर प्रार्थी बैंक **बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड शुद्धिकरण करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी 1 ने प्रार्थी बैंक को कहा कि जिस प्रकार से यह गलती हुई है उसके लिए आपको सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आना होगा, बिना न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार अप्रार्थी 1 ने शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी संख्या 1 के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत सही रूप से इन्तकाल दर्ज नहीं होने से प्रार्थी बैंक को भारी अपूरणीय क्षति हो रही है व प्रार्थी बैंक अप्रार्थी सं. 3 से ऋण की वसूली करने में भी असमर्थ हो गया है। अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी के खेतों का रहन का इन्तकाल गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज चला आ रहा है जबकि अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 2 के यहां ना तो ऋण आवेदन किया है ना ही अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई 6 (1) ही जारी किया व ना ही अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी सं. 2 के यहां से कोई ऋण ही प्राप्त किया है। जमाबन्दी व धारा 6 (1) के अधीन की घोषणा एवं प्रार्थी बैंक द्वारा शुद्धिकरण करने के निवेदन का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2021 की प्रतियां प्रस्तुत है। वर्णित खसरान भूमि ग्राम जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:–

खेत खसरा नम्बर 491 तादादी 14.09 हैक्टेयर वाकेरोही जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 3 के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़) के नाम दर्ज रहन के अंकन को हटाया जाकर उसकी जगह प्रार्थी बैंक **(बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़)** के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 1 से करवाई जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:05:17 IST
Reason: SelfAttested

Divya
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रतिवादी संख्या 01 (पैरोकार राज स्टेट की तरफ से) ने जवाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 491 तादादी 14.09 हैक्टेयर वाकेरोही जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 3 के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़) के नाम दर्ज रहन के अंकन को हटाया जाकर उसकी जगह प्रार्थी बैंक **(बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़)** के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। रहन मुताबिक आदेश यथावत रहेगा। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करे।

आदेश आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:05:17 IST
Reason: SelfAttested